


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1)श्री मान्ती कुमारी पिता- सुखू मांझी 2)बसन्ती हेम्ब्रोम पिता- लालजी मांझी, 3) दिनेश पवरिया पिता- स्व. होपन मांझी, ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला- हजारीबाग (झारखण्ड) थाना सं. 155 (जीएमके भूमि) खाता सं. 24 के अधीन प्लॉट सं. 20 एवं 493. कुल रकबा - 06.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त दस दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम- उरीमारी, थाना- बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- उरीमारी, थाना- बड़कागाँव, जिला- हजारीबाग (झारखण्ड) थाना सं. 155 (जीएमके भूमि) खाता सं. 24 के अधीन प्लॉट सं. 20 एवं 493. कुल रकबा - 06.00 एकड़ भूमि के तहत अंतर्गत 1)श्री मान्ती कुमारी पिता- सुखू मांझी 2)बसन्ती हेम्ब्रोम पिता- लालजी मांझी, 3) दिनेश पवरिया पिता- स्व. होपन मांझी, ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।


28.11.22